भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2759
उत्तर देने की तारीख-12/08/2026

उच्चतर शिक्षा संस्थानों में किफायती विद्यार्थी आवास

2759 **श्रीमती सुधा मूर्ती:**
क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्रीय तथा राज्य विश्वविद्यालयों में छात्राओं तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अथवा ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए किफायती एवं सुरक्षित छात्रावास सुविधाओं का विस्तार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ख) क्या मंत्रालय देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में परिसर आवास की मांग एवं आपूर्ति के अंतर का अभिलेख रखता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती छात्र आवास, पुस्तकालय तथा डिजिटल प्रयोगशालाएं बनाने हेतु महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों को कौन-सी वित्तीय सहायता अथवा राजसहायता प्रदान की जाती है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): शिक्षा समवर्ती सूची में होने के कारण, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना केंद्र और राज्य, दोनों सरकारों की ज़िम्मेदारी है। सरकार सभी छात्रों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंधित छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने आरक्षित श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिला छात्राओं और छात्रों सहित छात्रों के लिए किफायती और सुरक्षित छात्रावास आवास तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं।

सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय संसद के संबंधित केंद्रीय अधिनियमों के तहत स्थापित सांविधिक स्वायत्त संगठन हैं और उनके अधिनियमों, संविधि और उनके तहत बनाए गए अध्यादेशों द्वारा

शासित हैं। विश्वविद्यालय अपने संबंधित वैधानिक निकायों के अनुमोदन से छात्रावास आवास के आवंटन सहित प्रशासनिक और शैक्षणिक निर्णय लेने में सक्षम हैं। वर्तमान में, 47 केन्द्रीय विश्वविद्यालय पूर्णत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित हैं। इन विश्वविद्यालयों को वेतन, आवर्ती और पूंजीगत परिसंपत्ति शीर्षों के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसका उपयोग विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रावास सुविधाओं सहित अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं के लिए किया जाता है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय छात्रों की आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय-समय पर अतिरिक्त छात्रावास अवसंरचना का सृजन करते हैं। केन्द्र सरकार सहायता अनुदान और उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) से वित्तपोषण के माध्यम से छात्रावासों सहित विश्वविद्यालय अवसंरचना के विकास में सहायता प्रदान करती है। यह ध्यान देने योग्य है कि वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान के रूप में 5,603.79 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2025-26 तक, केंद्रीय विश्वविद्यालयों को 1,13,943.55 करोड़ रुपये जारी किए गए। वर्ष 2026-27 के दौरान 17,440 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इन निधियों का उपयोग विश्वविद्यालयों द्वारा अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार अपनी शैक्षणिक, प्रशासनिक और अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है।

तथापि, केंद्रीय सहायता की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, 'उच्चतर शिक्षा विभाग', भारत सरकार 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' (रूसा) कार्यान्वित कर रहा है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य राज्य सरकार के कुछ विशिष्ट विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि निर्धारित मानदंडों और मानकों का पालन सुनिश्चित करके उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप, सरकार ने जून 2023 में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के रूप में वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए 12926.10 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) का तीसरा चरण शुरू किया है ताकि शैक्षिक रूप से असेवित/वंचित क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

पीएम-उषा के तहत, प्राथमिकता वाले जिलों को प्राथमिकता दी जाती है जिनकी पहचान संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विभिन्न मानदंडों के आधार पर की जाती है, जिसमें कम सकल नामांकन अनुपात, लैंगिक समानता, जनसंख्या अनुपात और महिलाओं, ट्रांसजेंडरों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों, आकांक्षी/सीमावर्ती क्षेत्र/वामपंथी उग्रवाद वाले जिले आदि के लिए नामांकन अनुपात शामिल हैं।

इस योजना के तहत, अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर शिक्षण संस्थानों को सहायता प्रदान की जाती है इसमें

उच्चतर शिक्षा तक पहुँच और गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक शैक्षणिक और प्रशासनिक भवनों, छात्रावासों, पुस्तकालयों, अनुसंधान सुविधाओं, डिजिटल प्रयोगशालाओं और अन्य सहायक सुविधाओं का निर्माण और नवीनीकरण शामिल है; साथ ही, विभिन्न घटकों–जैसे बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू), विश्वविद्यालयों को सुदृढ़ करने के लिए अनुदान (जीएसयू), कॉलेजों को सुदृढ़ करने के लिए अनुदान (जीएससी), नए मॉडल डिग्री कॉलेज (एनएमडीसी), और लैंगिक समावेशन तथा समानता संबंधी पहल (जीआईईआई)–के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार के परिणामों को सुदृढ़ करना भी शामिल है।

पीएम-उषा के जीआईईआई घटक का उद्देश्य महिलाओं और अन्य अल्प-प्रतिनिधित्व समूहों के लिए उच्चतर शिक्षा में पहुंच, समता और समावेश को बढ़ावा देना तथा छात्राओं के लिए छात्रावासों और शौचालयों के निर्माण, एसटीईएम पाठ्यक्रमों में बालिकाओं की भागीदारी को प्रोत्साहन, बालिकाओं को आत्म-रक्षा का प्रशिक्षण आदि जैसी पहलों के लिए सहायता प्रदान करना है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 में उच्चतर शिक्षा, विशेष रूप से एसटीईएम संस्थाओं में नामांकन में सुधार और मुख्य शैक्षणिक पहुंच अवसंरचना के रूप में वहनीय छात्रावास क्षमता बनाने के लिए प्रत्येक जिले में एक बालिका छात्रावास की स्थापना का प्रस्ताव किया है।
